



2026:AHC: 2759

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19601 वर्ष 2025

प्रकाश सिंह

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :

आशीष कुमार

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता :

सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री ए.के. चौधरी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।

2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त बयान दिया है कि वे कोई और शपथ पत्र दाखिल नहीं करना चाहते हैं, अतः पक्षों की सहमति से, रिट याचिका का निस्तारण नए चरण पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1984 में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया था। उनका दावा है कि वे 31.12.2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, अब 18.10.2025 को विवादित आदेश पारित किया गया है जिसके द्वारा मूल वेतन को 66,000/- रुपये प्रति माह से घटाकर 62,000/- रुपये करते हुए पुनर्निर्धारण किया गया है और इस आधार पर परिणामी वसूली की गई है कि याचिकाकर्ता को कुछ ऐसे लाभ दिए गए थे जिनके वे हकदार नहीं थे।

4. इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित आदेश इस सरल कारण से कायम नहीं रह सकता कि यह एकतरफा है, याचिकाकर्ता की पीठ पीछे लिया गया है और यह मामला छिपाव, गलत बयानी या धोखाधड़ी का नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि मामला जो भी हो, नियोक्ता के लिए त्रुटियों को सुधारना हमेशा खुला है। हालांकि, उनके अनुसार, संबंधित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया था। फिर भी, उन्होंने सुझाव दिया कि आदेश को रद्द कर दिया जाए और मामले को नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेज दिया जाए।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

8. तथ्य निर्विवाद हैं। यह विवाद में नहीं है कि याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। कुछ लाभ दिए गए थे जिन्हें वापस लिया जा रहा था और मूल वेतन को 66,000/- रुपये प्रति माह से घटाकर 62,000/- रुपये करते हुए पुनर्निर्धारण किया गया है। विवादित आदेश से यह भी स्पष्ट नहीं है कि याचिकाकर्ता को कोई नोटिस दिया गया था। इसके अलावा यह भी प्रतीत नहीं होता कि यह धोखाधड़ी, गलत बयानी या तथ्यों को छिपाने का मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 एस.सी.सी. 154* में निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"3. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था, यह विवादित नहीं है। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता के मूल वेतन को 1991 में 18.12.1970 से भूतलक्षी प्रभाव से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता पर स्पष्ट रूप से नागरिक परिणाम थोपे गए हैं, लेकिन उसे अपने मूल वेतन की कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पहले उसे नोटिस तक नहीं दिया गया था और आदेश कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी पीठ पीछे पारित किया गया। इस प्रकार, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है और अपीलकर्ता को बिना सुने भारी वित्तीय हानि सहनी पड़ी है। कार्रवाई में निष्पक्षता यह मांग करती है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसका प्रभाव किसी कर्मचारी पर नागरिक परिणाम भुगतने के रूप में पड़ता हो, संबंधित व्यक्ति को नोटिस दिए बिना और मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आदेश (जापन), जिसे ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से कायम नहीं रह सकता था और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करने में त्रुटि की। ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश के साथ-साथ ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता के मूल वेतन को 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।"

9. तदनुसार, विवादित आदेश कायम नहीं रह सकता, रिट याचिका निम्नलिखित तरीके से तय की जा रही है:

(क) प्रतिवादी संख्या 4, पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, जिला गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित दिनांक 18.10.2025 का आदेश रद्द किया जाता है।

(ख) मामले को कारण बताओ नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद नए आदेश पारित करने के लिए प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है।

10. यह उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि याचिकाकर्ता पूर्ण लाभों के हकदार पाए जाते हैं, तो इसकी गणना सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के साथ की जाएगी।

11. तदनुसार, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)